अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

श्रीमती चेका w/o श्री .... बनाम रघुनाथ s/o बालू जाति जाट व रामचन्द्र जाति जाट .... अन्य

किस्म मुकदमा बाजदायरी प्रा0पत्र नम्बर 23 सन 2022 ([illegible])

श्री शौकिन्दलाल गुर्जर

श्रीमती चेका बनाम रघुनाथ

6.01.22 यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र श्री शौकिन्द लाल गुर्जर एडवोकेट ने न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 05.01.2022 को अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रार्थना पत्र वास्ते सुनवाई दिनांक 17.01.2022 को पेश हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रार्थना पत्र बाजदायरी वास्ते सुनवाई पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि दिनाक 05.01.2022 को बरवक्त दिजाये जाने आवाजे अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट की ओर से मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपीलांट एवं अभिभाषक समय पर मान्नीय न्यायालय के समक्ष पैरवी हेतु उपस्थित नहीं होने पर अभिभाषक समय पर मान्नीय न्यायालय के समक्ष पैरवी हेतु उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 05.01.2022 को अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज फरमा दी। मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट को अपने अभिभाषक द्वारा यह हिदायत दी गई कि आपको प्रत्येक तारीख पेशी को न्यायालय में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है इसलिए दिनांक 24.12.2021 को प्रार्थी/अपीलांट अभिभाषक की हिदायत अनुसार मान्नीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके तथा प्रार्थीया/अपीलांट अभिभाषक अन्य प्रकरण में व्यस्त होने से न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हो सकें। उक्त सदभाविक त्रुटिवश ही अधिवक्ता प्रार्थी उक्त अपील में उपस्थिति नहीं दे सका। अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता की मंशा मान्नीय न्यायालय से अनुपस्थित रहने की नहीं थी व उनकी अनुपस्थिति सद्भाविक व युक्तियुक्त है। अपील को यदि पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई नहीं की गई तो अपीलार्थी अपने हक व अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा जो कि न्याय की अवधारणा संभव नहीं है। मान्नीय न्यायालय से निवेदन है कि अपीलार्थी का [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मान्नीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाक 05.01.2022 को अपास्त कर अपीलार्थी की अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक प्रार्थी [illegible] प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। यह अवलोकन न्यायहित प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते हैं।

अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र बाबत् को स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली **फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर